बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या– 4/वि0–5–111/2018–   /सा0प्र0, पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वाराः– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों एवं प्रशाखाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के लिए स्थायी रूप से राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 2759 दिनांक– 28.02.2019 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्यालय स्थापना), बिहार, पटना के बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न पद सोपन के पदबल के पुनर्गठन के उपरांत संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) का 01, उप सचिव का 02, अवर सचिव का 06, प्रशाखा पदाधिकारी का 04 एवं सहायक का 23 पद अतिरिक्त स्वीकृत किया गया है।

3. विभागीय आदेश संख्या– 173 दिनांक– 27.03.2019 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के लिए पूर्व से स्वीकृत 23 (तेईस) प्रशाखाओं के अलावा अतिरिक्त 04 (चार) प्रशाखाओं का गठन करते हुए कुल 27 (सताईस) विभागीय प्रशाखाओं के लिए कार्य आवंटित किया गया है।

4. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 2759 दिनांक– 28.02.2019 एवं विभागीय आदेश संख्या– 173 दिनांक– 27.03.2019 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों एवं प्रशाखाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्यों का सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव निम्नांकित राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का गैर योजना मद में स्थायी रूप से सृजन किया जाता है :–

क्रं0	पदनाम	सेवा संवर्ग	पदों की संख्या	वेतन स्तर
1	2	3	4	5
1.	आप्त सचिव	बि0स0आ0से0	01	लेवल– 9
2.	निजी सहायक	बि0स0आ0से0	02	लेवल– 7
3.	आशुलिपिक	बि0स0आ0से0	06	लेवल– 4
4.	उच्चवर्गीय लिपिक	बि0स0लि0से0	02	लेवल– 4
5.	निम्नवर्गीय लिपिक	बि0स0लि0से0	02	लेवल– 2
6.	कार्यालय परिचारी	–	13	लेवल– 1

5. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय 1,14,35,160/– (एक करोड़ चौदह लाख पैंतीस हजार एक सौ साठ रू0) मात्र है। उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष ''2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं–090–सचिवालय –0004–सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विपत्र कोड संख्या– N2052000900004 से किया जायेगा।

6. उक्त राशि की निकासी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(राम शंकर)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृ0प्र030

krish[4-est.]new letter1.docx ------- 2568

ज्ञापांक :- 4/वि0-5-111/2018- /सा0प्र0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार/वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/बजट शाखा/लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 4/वि0-5-111/2018- /सा0प्र0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी विभाग, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार तथा सभी पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 4/वि0-5-111/2018- /सा0प्र0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0सहित) राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 4/वि0-5-111/2018- /सा0प्र0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 4/वि0-5-111/2018-14082-/सा0प्र0, पटना, दिनांक- 15.10.19

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 15.10.19

सरकार के संयुक्त सचिव।